

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 05/2024
रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/11

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाड़ा (राज)

श्री रमेश खत्री पुत्र श्री लाभचन्द्र निवासी
126 सुभाष नगर, बांसवाड़ा, (विक्रेता/
मालिक) मैसर्स रमेश एजेन्सी, नगर पालिका
के सामने, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04-03-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 01-01-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 17-01-2023 को 2.30 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स रमेश एजेन्सी, नगर पालिका के सामने, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री रमेश खत्री पुत्र श्री लाभचन्द्र निवासी उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान् की उपस्थिति में मैसर्स रमेश एजेन्सी, नगर पालिका के सामने, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में पान मसाला (बाहुबली) 20 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच, प्रत्येक पाउच में 4.5 ग्राम के विक्रय हेतु रखे थे। उक्त पान मसाला (बाहुबली) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए पान मसाला (बाहुबली) के 16 पैकेट वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1920/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा पान मसाला (बाहुबली) के 16 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच, प्रत्येक पाउच में 4.5 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर डी.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक **W-1266** प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)

स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) & 3(1)(zx) के तहत मिसब्राण्ड एवं सबस्टेण्डर्ड पाया गया पान मसाला (महक सिल्वर) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52, 51 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री रमेश खत्री पुत्र श्री लाभचन्द्र निवासी 126 सुभाष नगर, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स रमेश एजेन्सी, नगर पालिका के सामने, बांसवाडा को रूपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04-03-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)
बांसवाड़ा (राज.)